2.43

चैक लिस्ट प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्ग नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0) हेतु प्रस्तावित वन भूमि के हस्तान्तर प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र लगाये गये हैं।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
, अल्मोड़ा

फैक्ट–सीट

1. **परियोजना का नामः–** जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0) का निर्माण।
2. **प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)**

आरक्षित वन भूमि	–	0.28
सिविल एवं सोयम वन भूमि	–	8.54
वन पंचायत भूमि	–	0.14
निजी (नाप) भूमि	–	2.24
योग	–	11.20

3. प्रस्तावक विभाग का नाम – सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 / पी0आई0यू0, अल्मोड़ा।
4. वन प्रभाग का नाम – सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
5. प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है – हॉ
6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है – हॉ
7. क्या भारत सरकार के प्रारूप 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हॉ
8. क्या प्रारूप में वॉछित स्थानों पर दिनॉक व स्थान भरा गया है– हॉ
9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है– हॉ
10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण–पत्र संलग्न है– हॉ
11. बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है– हॉ
12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया– प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम् रखने हेतु विभिन्न समरेखनों सहित अनेक विकल्पों पर विचार किया गया, जिसमें प्रस्तावित समरेखन में वृक्षों की संख्या न्यूनतम् है।
13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है– हॉ
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही– हॉ
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय उपयुकत्ता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है– हॉ
16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है– हॉ
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है–हॉ
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है– नही
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है– नही
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है– हॉ
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है–(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें।) **मार्ग नया प्रस्तावित है**
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगो से भरा गया है– हॉ
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र में दर्शाया गया है– हॉ
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है– नही
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कमचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। – आवश्यकता नहीं है।
26. सड़क निर्माण हेतु तलास की गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं– हॉ
27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)।– **स्वीकृत समरेखन नम्बर–01 के अलावा एक वैकल्पिक समरेखन का चयन किया गया, इस समरेखन के अन्तर्गत् हेयर पिन (H.P.) बैंडो व वृक्षों की संख्या अधिक आने के कारण, इसे निरस्त कर प्रस्तावित समरेखन नम्बर–01 को ही चुना गया।**

28. लाभ लागत विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है। (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) लागू नहीं
29. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है– हॉ
30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है– हॉ

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न है– हॉ

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है– हॉ
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियॉ मूल में सलग्न हैं यदि छाया प्रतियॉ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित हैं– हॉ
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है– **नही/लीज पर नही दी जानी है।**
34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है– हॉ
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है– हॉ
36. क्या चेक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न हैं– हॉ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त, फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है। समस्त प्रमाण–पत्र/सूचना संलग्न कर दी गई है।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0) का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन पंचायत भूमि उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 8.96 हैक्टेयर वन भूमि के एवज में दुगुने क्षेत्र अर्थात 17.92 हैक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम दियारी, राजस्व तहसील भनोली, जनपद अल्मोड़ा के खाता संख्या 054 श्रेणी 9(3)ङ "बंजर काबिल आबाद भूमि" जो राज्य सरकार की भूमि है तथा जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है। याचक विभाग के मॉगा अनुसार सम्बन्धित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के लिए राजस्व विभाग सहमत है।

तहसीलदार
भनोली

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र..... तहसील.....
जनपद– अल्मोड़ा

तहसीलदार
भनोली

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0) का निर्माण।

जनपद अल्मोड़ा में भनोली तहसील के अन्तर्गत् नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉ मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0) का निर्माण, सुवासखान–छड़ौजा मोटर मार्ग के कि0मी0–11 के पास से प्रारम्भ होक राजस्व ग्राम सेलाकोट, पटवारी क्षेत्र महरागॉव, तहसील भनोली व जिला अल्मोड़ा नामक स्थान पर समाप्त होता है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु फेज 17 के अन्तर्गत् प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश सख्य 5610/पी3–14 (Hab)/यू0आर0आर0डी0ए0/18 दिनॉक 31 जनवरी 2018 द्वारा प्राप्त हुई है।

प्रस्तावित मोटर के निर्माण होने से निम्नलिखित गॉवों की सम्बन्धित जनसंख्या लाभान्वित होंगी।

क्रम सख्या	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
01.	नौगॉव	643	125
02.	मेहरगॉव	223	40
03.	सैलाकोट	506	95
04.	कोल	439	80
	कुल योग	**1372**	**340**

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जी0आई0एस0 मैप/सैटेलाइट इमेज में अक्षांश एवं देशान्तर क दर्शाते हुए अनुमोदित समरेखन संख्या को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखन संख्या–2 को नीले रंग से इंगित किय गया है। उक्त समरेखन सिविल बेनाप (राज्य) भूमि, वन पंचायत, आरक्षित वन भूमि एवं नाप भूमि से होकर निकलता है इस समरेखन में कोई मकान, मन्दिर, मस्जिद तथा कब्रिस्तान का भाग नहीं 8.96 हैक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी।

उक्त प्रयोजनार्थ यह वन भूमि न्यूनतम् है। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। निर्माण किये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता की सहमति प्राप्त है।

अतः प्रस्तावित वन भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाय।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

परिशिष्ट
(देखिये नियम–6

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत् पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1.	परियोजना विवरण–	
क)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद अल्मोडा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाड मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0) का निर्माण।
ख)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग)	परियोजना की लागत	रुपया 1274.76 लाख
घ)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया गया तकनीकी दृष्टि से अन्य स्थानों पर मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।
ड)	लाभ लागत विश्लेषण–	लागू नहीं है।
च)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	सिविल बेनाप (राज्य भूमि) – 8.54 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि – 0.14 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि – 0.28 हैक्टेयर कुल वन भूमि – 8.96 हैक्टेयर नाप भूमि – 2.24हैक्टेयर महायोग – 11.20 हैक्टेयर
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	आवश्यकता नहीं।
क)	परिवारों की संख्या।	आवश्यकता नहीं।
ख)	अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	आवश्यकता नहीं।
ग)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत् मन्जूरी आवश्यक है (हॉ / नहीं)	नहीं।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण–पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।	अनुक्रमण तालिका में ब्यौरा अंकित है।

दिनॉक /08/2018
स्थान– अल्मोड़ा।

नामः– (इ0 विनोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
सि०ख०,पी०एम०जी०एस०वाई,
अल्मोडा

मोहरः–
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 अल्मोड़ा अल्मोड़ा

प्रस्ताव की क्रम संख्या .....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।)